दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

सूने मकान से जेवरात समेत 7 लाख की चोरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोतरारोड़ अन्तर्गत कृष्णा विहार कालोनी में राजेश गुप्ता के मकान में किरायेदार के रूप में रहने वाले सुरेश कुमार अग्रवाल द्वारा दिनांक 27.09.19 को मकान में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, रिपोर्टकर्ता ने बताया कि दिनांक 25.09.19 से अपने पिताजी का ईलाज कराने रायपुर रामकृष्ण केयर हास्पीटल गया हुआ है। घर में पत्नी थी जो अकेली होने की वजह से शाम को मकान में ताला लगाकर अपने रिस्तेदार के यहां पार्क रेवन्यू में सोने चली जाती थी। दिनांक 27.09.2019 को सुबह 8 बजे इसकी पत्नी फोन कर बताई कि सुने घर में कोई अज्ञात व्यक्ति दरवाजा का कुन्दा तोड़कर अन्दर अलमारी का लाक तोड़कर सोने चान्दी के जेवरात एवं नगदी रकम जुमला 07,00,000 रूपये (सात लाख रूपये) को चोरी कर ले गया है। जानकारी पाकर घर आकर देखा और रिपोर्ट दर्ज कराया, रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 294/19 धारा 457,380 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

निलांचन बालगृह से 15 वर्षीय बालक लापता

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना चक्रधरनगर अन्तर्गत स्थित निलांचन बालगृह (बालक) पहाड़ मंदिर के पीछे पंडरीपानी रायगढ में रहने वाला 15 वर्षीय बालक के लापता हो जाने की रिपोर्ट संस्था के स्टाफ द्वारा दिनांक 27.09.19 को थाना चक्रधरनगर में दर्ज कराया गया है। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि प्रतिदिन की तरह दिनांक 26.09.19 को सबुह लगभग 10ः00 बजे बालक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पंडरीपानी अध्ययन करने के लिए निकला था लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा। इसकी जानकारी होने पर संस्था के कर्मचारियों द्वारा बालक का खोजबीन किये पता नहीं चला। रिपोर्ट पर अप.क्र. 365/19 धारा 363 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

मामूली कहासुनी में पोकलेंड चालक ने सुपरवाईजर को पोकलैंड बोकेट से मारा, ईलाज के दौरान मौत

आरोपी गिरफ्तार भेजा गया रिमांड पर

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना भूपदेवपुर अन्तर्गत ग्राम परसदा में के. सेसागिरी राव एंड कंपनी द्वारा जिंदल स्लेग यार्ड में कार्य कराया जा रहा है। दिनांक 27.09.2019 को रात्रि करीब 08.00 बजे जिंदल स्लेग यार्ड में पोकलेंड चालक एहसान खान एवं सुपरवाईजर धर्मेन्द्र प्रजापति के मध्य पोकलेंड एवं लोडर चलाने की बात को लेकर विवाद हो रहा था जिसे वहां कार्यरत कर्मचारियों ने शांत कराया। उसके बाद दोनों वहां से अपने-अपने काम पर चले गये परन्तु पोकलेंड चालक एहसान खान उस विवाद को लेकर सुपरवाईजर धर्मेन्द्र प्रजापति पर हमला करने की मन में ठान लिया और रात्रि करीब 10.00 बजे जब धर्मेन्द्र प्रजापति गेट तरफ निकला तब मौका पाकर पोकलेंड चालक एहसान खान, पोकलैंड एवं लोडर चलाने के विवाद को लेकर धर्मेन्द्र प्रजापति को पोकलैंड बोकेट से पैर, सीना में मारकर प्राण घातक चोट पहुंचा कर कंपनी का मोटर सायकल लेकर भाग गया। आहत को गंभीर अवस्था में ओ.पी. जिंदल अस्पताल पतरापाली में भर्ती कराया गया। घटना की रिपोर्ट पर थाना भूपदेवपुर में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 162/19 धारा 307 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया। आहत धर्मेन्द्र प्रजापति पिता रामलाल प्रजापति उम्र 35 साल निवासी मिर्जापुर हाल परसदा की ईलाज दौरान अस्पताल में फौत हो गया जिस संबंध में थाना कोतरारोड़ में शून्य पर मर्ग कायम किया गया है। वहीं आरोपी एहसान खान पिता नयायुद्दीन खान उम्र 30 साल निवासी प्रतापपुर गढवा (झारखंड) को भूपदेवपुर पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। थाना कोतरारोड़ से मर्ग डायरी प्राप्त होने पर प्रकरण में धारा 302 भादवि जोडी जाकर अग्रिम विवेचना कार्यवाही की जावेगी।

फर्जी फेसबुक आईडी पर पत्नी की अश्लील तस्वीरें पति ने किया वायरल, जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना सारंगढ़ में 30 वर्षीय युवती द्वारा शिकायत आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि बिहार के एक युवक से अप्रैल 2019 में कोर्ट मैरिज की है। इसका पति इसके ई-मेल आईडी के द्वारा फर्जी तरिके से इसका फेसबुक आई0डी0 बनाया। उस फेसबुक आई0डी0 के द्वारा युवती का पति युवती के परिचितों मैसेन्जर के द्वारा बात करता और युवती का उन लोगों को आपत्ति जनक तस्वीरें भेजता था। युवती के पति द्वारा उसे मोबाईल पर कॉल कर अश्लील बातें करता और ब्लैकमेल कर मारने पीटने की धमकी देकर बार बार परेशान करने लगा। युवती के शिकायत आवेदन पत्र पर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 454/19 धारा 509(ख) भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

नन्ही बच्ची के मेडिकल इमरजेंसी के लिये घर तक पहुंचा राइनो

न्याय साक्षी/रायगढ़। पूंजीपथरा राइनो को एक 09 माह की बच्ची के गले में कुछ फंस जाने से मेडिकल इमरजेंसी का इवेंट प्राप्त हुआ। इवेंट पर कॉलर के घर जिंदल पार्क के लिए पूंजीपथरा राइनो को रवाना किया गया। जहां रहने वाले अरविंद कुमार निवासी विश्रामपुरी की लड़की विभा कुमारी उम्र 09 माह भूलवश कुछ खा ली थी जो उसके गले में फंस गया था। बच्ची को मेडिकल की आवश्यकता देख तत्काल डॉयल 112 आरक्षक अनसलेम केरकेट्टा द्वारा ईआरव्ही राइनो वाहन में बच्ची व उसकी मां को बिठाकर चला। रायगढ़ में उपचार महैया करवाया गया। बच्ची की स्थिति अब सामान्य है।

मोबाईल पर दोस्ती कर युवती को किया ब्लैकमेलिंग, ऐंठे 23,000 रूपये, जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना खरसिया में 25 वर्षीय युवती द्वारा शिकायत आवेदन देकर मोबाईल नं. 770496××××× एवं 96655965××××× के धारक द्वारा फेक फेसबुक आई.डी. के जरिये ब्लैकमेलिंग कर अपने यूनियन बैंक खाते में 23,000 रूपये जमा करवा लिये जाने की रिपोर्ट दर्ज करायी है।

पीड़ित युवती ने बताया कि करीब 02 वर्षों से मोबाईल नं. 770496××××× एवं 96655965××××× के धारक अज्ञात व्यक्ति बात एवं मेसेज करता था और उसी व्यक्ति ने युवती के नाम से फेसबुक में फेक आई डी बनाया था और उसमें युवती की फोटो एडिट करके अश्लील अपलोड कर दिया। कुछ दिनों बाद अज्ञात व्यक्ति द्वारा युवती को बदनाम कर दूंगा कहकर धमकी दिया और यूनियन बैंक एकाउंट में मो. नदीम नाम के खाते में पैसा जमा करवाया दो बार में 15,000/- एवं 8,000/- रकम डलवा लिया। बदनामी के डर से युवते उसके बैंक खाते में रकम डाल दी। उसके बाद वह कई बार अज्ञात व्यक्ति और कई नम्बरों से युवती के घर वालों को फोन कर युवती को बदनाम करने की धमकी देने लगा। युवती के आवेदन पर मोबाईल धारक के विरूद्ध थाना खरसिया में अप.क्र. 412/19 धारा 384 आईपीसी, 67 आईटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

आवश्यकता है
CAREER SCHOOL
अंग्रेजी माध्यम (English Medium)
में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए
गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।
वेतन योग्यतानुसार
मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक
अभ्यार्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।
CAREER SCHOOL
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कृष्ण सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐक्ता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुरे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्त, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग
वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....
न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की
खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480